रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-10062025-263694 CG-DL-E-10062025-263694

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 334] No. 334]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 9, 2025/ज्येष्ठ 19, 1947 NEW DELHI, MONDAY, JUNE 9, 2025/JYAISTHA 19, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2025

सा.का.नि. 377(अ).— अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012का संशोधन करने के लिए कितपय नियमों का प्रारूप, भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)के सा.का.नि संख्या 768 (अ) तारीख 16 दिसंबर, 2024 की अधिसूचना द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, धारा 3, उपधारा (i) में प्रकाशित किया गया था, जिसके द्वारा उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां 16 दिसंबर, 2024 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त अवधि के भीतर जनता से कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ;

अतः, अब,केन्द्रीय सरकार, विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 14 के साथ पठित धारा 5 और 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:

3722 GI/2025 (1)

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अमोनियम नाइट्रेट (संशोधन) नियम, 2025 है।
 (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 (जिसे इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में,
 - (क) खंड (ढ) के पश्चात, निम्नलिखित खंडको अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-
 - '(ढ क) "सूक्ष्म औरलघु उद्यम" से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 2 केखंड (ज) और खंड (ड)में परिभाषित उद्यम अभिप्रेत है।;
 - (ख) खंड (ध) के पश्चात, निम्नलिखित खंडोंको अंत:स्थापित किया जाएगा:
 - (न) "स्टार्टअप"मेंऐसी कंपनीअभिष्रेत है जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग में रजिस्ट्रीहै तथा समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 127(अ) तारीख 19. फरवरी. 2019 के पैरा 1 के खंड (क) मेंपरिभाषित है।:
 - (प) "महिला उद्यमी" से महिला के स्वामित्व और नियंत्रण वालाऐसा उद्यम अभिप्रेत है, जिसकी पूंजी में उनकी न्यूनतम वित्तीय भागीदारी 26 प्रतिशत है।"
 - 3. उक्त नियमों के नियम 29 के उप-नियम (1) को, निम्नलिखित उप-नियम रखे जाएंगे, अर्थात्-
 - "(1) पूर्व अनुमोदन, अनुज्ञप्ति जारी करने और संशोधन के लिए निम्नलिखित शुल्क का भुगतान करना होगा, अर्थात्:-

क्र.सं.	शुल्क का प्रकार	शुल्क (रुपए में)	सूक्ष्म और लघु उद्यम तथा स्टार्टअप के लिए शुल्क (रुपए में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(क)	पूर्व अनुमोदन हेतु जांच शुल्क	1000	500	200
(ख)	अमोनियम नाइट्रेट के निर्माण और विक्रय के लिए कब्जे में रखने या अमोनियम नाइट्रेट को गलन से ठोस और ठोस से गलन में परिवर्तित करने और विक्रय के लिए कब्जे में रखने हेतुअनुज्ञप्ति	प्रतिवर्ष	10000 / प्रतिवर्ष	4000 /प्रतिवर्ष
(ग)	किसी भंडार गृह से अमोनियम नाइट्रेट के विक्रय हेतु कब्जे में रखने [अथवा टैंक में गले हुए अमोनियम नाइट्रेट] के लिए अनुज्ञप्ति		1000 / प्रतिवर्ष	400 / प्रतिवर्ष
(ঘ)	किसी भंडार गृह से अमोनियम नाइट्रेट के उपयोग हेतु कब्जे में रखने (अथवा टैंक में गले हुए अमोनियम नाइट्रेट) के लिए अनुज्ञप्ति		500 / प्रतिवर्ष	200 / प्रतिवर्ष
(ङ)	अमोनियम नाइट्रेट के आयात के लिए अनुज्ञप्ति	5000	2500	1000
(च)	अमोनियम नाइट्रेट के निर्यात के लिए अनुज्ञप्ति	5000	2500	1000
(छ)	अमोनियम नाइट्रेट को बैग में रखने और भंडारण के लिए अनुज्ञप्ति	20,000 / प्रतिवर्ष	10,000 / प्रतिवर्ष	4000 / प्रतिवर्ष
(ज)	अमोनियम नाइट्रेट के परिवहन के लिए अनुज्ञप्ति	2000 / प्रतिवर्ष	1000 / प्रतिवर्ष	400 / प्रतिवर्ष

(झ)	अनुज्ञप्ति में संशोधन	1000	500	200

- (1क) उप-नियम (1) के अधीन उल्लिखित शुल्क, केवल निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर लागू होगा, अर्थात:-
- (क) सूक्ष्म और लघु उद्यम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र:

 परंतु, उपरोक्त उक्त छूट केवल सूक्ष्म और लघु उद्यमों पर लागू होगी और यह मध्यम उद्यमों पर लागू नहीं
 होगी।
- (ख) सूक्ष्म और लघु स्टार्टअप-उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में रजिस्ट्री का दस्तावेजी साक्ष्य।
 - (ग) महिला उद्यमी फर्म या कंपनी के स्वामीअथवा निदेशक का दस्तावेजी साक्ष्य।

(1 ख) ऐसे मामले में जहां सूक्ष्म और लघु उद्यम या स्टार्टअप *का स्वामित्व और नियंत्रण महिला द्वारा* किया जाता है, तो वह शुल्क लागू होगा जो उनमें से कम हो।

परंतु यदि आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी, किसी भी स्तर पर गलत या भ्रामक पायी जाती है, तो ऐसे अनुमोदन या अनुज्ञप्ति को निरस्त कर दिया जाएगा।

[फा.सं. पी-13033/92/2023-विस्फोटक]

डॉ.संध्या भुल्लर, संयुक्त सचिव

टिप्पणःमूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड 3, उप-खण्ड (i)में अधिसूचना सं. सा.का.िन. 553(अ), तारीख 11 जुलाई, 2012 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.िन. 469(अ)तारीख 9 जुलाई, 2013, सा.का.िन. 938(अ)तारीख 7 सितंबर, 2018, सा.का.िन. 608 (अ) तारीख 31 अगस्त, 2021तथा सा.का.िन. 239 (अ) तारीख 17अप्रैल, 2025 द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन कियागयाथा।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (DEPARTMENT FOR PROMOTION OF INDUSTRY AND INTERNAL TRADE) NOTIFICATION

New Delhi, the 9th June, 2025

G.S.R.. 377(E).—Whereas the draft of certain rules further to amend the Ammonium Nitrate Rules, 2012, were published, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) number G.S.R. 768 (E), dated the 16th December, 2024, in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 16th December, 2024;

And whereas no objection or suggestions received from the public within the said period;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 5 and 7 read with section 14 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Ammonium Nitrate Rules, 2012, namely:-

1. Short titled and commencement.- (1) Theserules may be called the Ammonium Nitrate (Amendment) Rules, 2025.

- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Ammonium Nitrate Rules, 2012 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2,-
 - (a) after clause (n), the following clause shall be inserted, namely:-
 - '(na) "Micro and Small Enterprises" means an enterprise defined in clause (h) and clause (m) of section 2 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006; ';
 - (b) after clause (s), the following clauses shall be inserted, namely:-
 - (t) "startup" means an entity registered with the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry and as defined in clause (a) of Paragraph 1 of the Notification number G.S.R. 127(E), dated the 19th February, 2019, and as amended from time to time.
 - '(u) "women entrepreneur" means an enterprise owned and controlled by a woman having a minimum financial interest of 26 percent of the capital.'.
- 3. In rule 29 of the said rules, for sub-rule (1) the following sub-rules shall be substituted, namely:"(1) The following fee shall be payable for prior approval, issuance of licences and amendment, namely:-

Sl. No.	Type of Fee	Fees (in Rs.)	Fees for micro and small enterprises and startups (in Rs.)	Fees for women entrepreneur (in Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(a)	Scrutiny fee for prior approval	1000	500	200
(b)	Licence to manufacture and possess for sale Ammonium Nitrate or convert melt to solid and vice versa andpossess for sale [of Ammonium Nitrate]		10000 / Year	4000 /Year
(c)	Licence to Possess for sale of Ammonium Nitrate from a store house [or Ammonium Nitrate melt in tank]	2000 / Year	1000 / Year	400 / Year
(d)	Licence to Possess for use of Ammonium Nitrate from a store house [or Ammonium Nitrate melt in tank]	1000 / Year	500 / Year	200 / Year
(e)	Licence to Import Ammonium Nitrate	5000	2500	1000
(f)	Licence to Export Ammonium Nitrate	5000	2500	1000
(g)	Licence to bag and store Ammonium Nitrate	20,000 / Year	10,000 / Year	4000 / Year
(h)	Licence to Transport Ammonium Nitrate	2000 / Year	1000 / Year	400 / Year
(i)	Amendment oflicence	1000	500	200

- (1A) The fee under sub-rule (1), shall apply only on the furnishing of the following document, namely:-
- (a) Micro and Small Enterprises Certificate issued by the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises:

Provided that, above said relaxation shall only be applicable to Micro and Small Enterprises and not for Medium Enterprises.

- (b) Micro and Small Startup- Documentary evidence towards registration with the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry:
- (c) Women Entrepreneur Documentary evidence towards Proprietor or Director of the firm or company.
- (1B) Where Micro and Small Enterprises or Startup is *owned and controlled by a woman*, the fees whichever is lower shall be applicable:

Provided that if information submitted by the applicant, is found to be false or misleading at any stage, the approval or license shall be liable to be cancelled.".

[F. No. P-13033/92/2023-EXPLOSIVE] Dr. SANDHYA BHULLAR, Jt.Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Subsection (i) vide notification G.S.R. 553(E), dated the 11th July, 2012 and subsequently amended vide G.S.R. 469(E), dated the 9th July, 2013, G.S.R. 938(E), dated the 27th September, 2018 and G.S.R. 608(E), dated the 31st August, 2021 and G.S.R. 239 (E), dated 17th April, 2025.